भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2898

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु प्रस्ताव

2898. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे अल्पसंख्यक बहुल तटीय और पारंपरिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में आजीविका, पारंपरिक अवसंरचना और कौशल विकास में सुधार लाने हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी केंद्रीय निधि या आवंटन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कल्याणकारी लाभों की लक्षित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में पारंपरिक ग्रामीण अभिलेखों, डिजिटल रजिस्टरी और सामाजिक-आर्थिक जानकारी को उन्नत करने हेतु राज्य की पहलों के साथ समेकित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में हाशिए पर रहने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों पर बोझ बन रहे स्वयं की जेब से बड़े खर्च को कम करने के लिए विभिन्न जिलों में शैक्षणिक और चिकित्सा अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्धारित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): जी, हाँ। मंत्रालय को केरल सरकार से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अवसंरचना में सुधार तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP), जो कि अब तत्कालीन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) में समाहित हो चुका है, के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

PMJVK एक केंद्र प्रायोजित योजना तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला-केंद्रित पहलें, पेयजल एवं स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक सामुदायिक बुनियादी ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करना है।

मंत्रालय द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक ग्राम अभिलेखों के उन्नयन, डिजिटल रजिस्ट्रियां तैयार करने अथवा पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विवरण एकत्र किए जाने के लिए राज्य स्तरीय पहलों की सहायता हेतु न तो किसी केंद्रीय निधि की व्यवस्था की गई है और न ही आवंटन किया गया है।

मंत्रालय द्वारा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन हेतु जिला-वार आधार पर कोई विशिष्ट वित्तीय आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक केरल सरकार के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

'अल्पसंख्यकों के विकास हेतु प्रस्ताव' विषय पर माननीय सांसद डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

PMJVK के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक केरल राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	इकाइयों की कुल संख्या	कुल लागत (लाख रुपये में)
1	पेयजल आपूर्ति	18	2123.93
2	शिक्षा	2073	7319.023
3	स्वास्थ्य	42	12846.55
4	अन्य सामुदायिक अवसंरचना	13	420
5	स्वच्छता	13	0
6	कौशल विकास	17	2769.42
7	महिला एवं बाल विकास	3	750
कुल योग		**2179**	**26228.923**
